भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्य में एकजुट है : राधाकृष्णन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि भाषा, क्षेत्र और संस्कृति में विविधता के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्य में एकजुट है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से एक रहा है और सदा एक ही रहेगा। राधाकृष्णन ने यह विचार प्रिंसेस चैंबर, संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संयुक्त रूप से संसद सदस्य सुधा मूर्ति द्वारा लिखित काफी टेबल बुक 'टाइड्स आफ टाइम : भारतहुस हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट' का विमोचन करते हुए व्यक्त किए।

बिरला ने देश के अतीत और उसके भविष्य के अंतर्निहित संबंध पर बल देते हुए ये विचार व्यक्त किए कि किसी राष्ट्र की शक्ति और उसके विकास की दिशा उसकी ऐतिहासिक चेतना से प्रभावित होती है। भारत की सभ्यतागत यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सदियों से अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, देश ने निरंतर दृढ़ता, साहस और प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। बिरला ने कहा कि यह पुस्तक संसद के भित्तिचित्रों में उकेरे गए समृद्ध इतिहास, संस्कृति और सभ्यतागत विरासत को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि ऐतिहासिक संविधान सदन की दीवारों पर लगे चित्र भारत की प्राचीन विरासत, समृद्ध संस्कृति और स्वतंत्रता के ऐतिहासिक संघर्ष को समाहित करते हुए भारत की गौरवगाथा को सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह कृति संसद की कलात्मक धरोहर, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामूहिक राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करती है। इन आख्यानों को एक सम्मोहक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने वाली यह पुस्तक अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है।

बिरला ने सुधा मूर्ति की सहज अभिव्यक्ति और उनकी गहन अंतर्दृष्टि की सराहना करते हुए कहा कि वह अपनी स्पष्ट और संवेदनशील लेखन शैली से जटिल ऐतिहासिक विषयों को पाठकों, विशेष रूप से युवाओं के लिए सहज बना देती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक युवा पीढ़ियों को भारत की जड़ों, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान से पुनः जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे उनमें गौरव और अपनेपन की भावना बढ़ेगी।

दिल्ली पुलिस में 14,000 पद रिक्त : सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अप्रैल।

सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि दिल्ली पुलिस में कुल स्वीकृत पदों के करीब 14.5 फीसद और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के करीब 44 फीसद पद रिक्त हैं।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि 97,331 कर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले 12 मार्च 2026 तक 14,140 पद रिक्त थे। इनमें से 13,958 रिक्तियां कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक के पदों पर हैं, जबकि स्वीकृत पद 96,817 हैं। सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 346 पदों में से 152 पद रिक्त हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और उससे ऊपर के स्तर पर 168 पदों में से 30 पद रिक्त हैं, जो स्वीकृत पदों का करीब 17.9 फीसद है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली के सभी थानों में पर्याप्त कर्मचारी, महिला सहायता केंद्र और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं। दिल्ली के सभी 15 पुलिस जिलों में साइबर पुलिस थाने कार्यरत हैं। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अपराध-संभावित क्षेत्रों की पहचान और पैदल गश्त, पीसीआर और आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों की तैनाती शामिल है।

उन्होंने कहा कि अन्य उपायों में अपराधियों की पहचान, निगरानी और गिरफ्तारी, स्थानीय पुलिस, पीसीआर कर्मचारियों और यातायात पुलिस द्वारा एकीकृत गश्त और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं।

पंजाब : जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण एक अप्रैल से

चंडीगढ़, 1 अप्रैल (भाषा)।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि राज्य में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण एक अप्रैल से शुरू किया गया।

मान ने कहा कि इसका उद्देश्य समान विकास और लक्षित नीति निर्माण सुनिश्चित किया जाना है।

मान ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की चार साल की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि सर्वेक्षण पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का आकलन करेगा।

उन्होंने विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में ग्रामीण विकास पर 3,847 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि 2017-22 के दौरान यह राशि 1,883 करोड़ रुपए थी और 2025-26 में 2,367.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है।

उत्तर रेलवे
निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम और इसकी स्थिति	01-SRDEE-G-DLI-2026-27 दिल्ली डिवीजन में स्थापित ओमेगा ब्रांड की लिफ्टों के लिए तीन साल की व्यापक वार्षिक प्रबंधन योजना (एएमसी)।
निविदा की अनुमानित लागत	रू. 8679060.00/-
कार्यालय का पता	वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता / जी, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
बयाना राशि	रू0 173600.00/-
निविदा निवेदन की दिनांक व समय	23.04.2026, 16.00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक व समय	23.04.2026, 16.00 बजे
वेब साइट व नोटिस बोर्ड	www.ireps.gov.in वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता / जी, नई दिल्ली

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 1102/2026

ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण – दिल्ली

अपार्टमेंट नंबर 318 तीसरी मंजिल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

अपील सं. 281/2024
विविध आवेदन सं. 41/2023
O.A. सं. 207/1999
(डीआरटी– I I I, दिल्ली)

इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ...अपीलकर्ता / गण
बनाम
मैसर्स भरतपुर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लि. एवं अन्य ...प्रतिवादी / गण

नोटिस

1. मैसर्स भरतपुर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड — प्रतिवादी सं. 1
पंजीकृत कार्यालयः
घाना सेवर बाईपास रोड, भरतपुर, राजस्थान 321001,
और: चतुर्थ तल, इंदिरा प्रकाश बिल्डिंग बाराखंबा रोड, नई दिल्ली– 110001,
और: मकान नं. डी–2– 405, पार्टली, वार्ड नं. 14, शिव दुर्गा विहार, ब्लॉक डी.जी गाँव लक्कड़पुर, फरीदाबाद– 121010

जबकि नोटिस के अनुसार, उपरोक्त मामले में डीआरटी के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील अपीलकर्ता द्वारा 20–11–2024 को प्रस्तुत की गई हैं और न्यायाधिकरण में पंजीकृत है। यह मामला 19–03–2026 को इस न्यायाधिकरण के सामने सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि न्यायाधिकरण को इस बात का संतोषजनक सबूत दिया गया है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस देना संभव नहीं है। इसलिए यह नोटिस विज्ञापन द्वारा दिया गया है जिसमें आपको 29.04.2026 को इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

यह प्रकाशन दो अखबारों में किया जाए, "एक स्थानीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी में", जो उक्त क्षेत्र / प्रतिवादियों के अंतिम ज्ञात पतों पर व्यापक रूप से प्रसारित होते हों।

इसलिए ध्यान दें कि यदि आप ऊपर बताए गए दिन उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और फैसला आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **24 मार्च, 2026** को दिया गया।

मुहर

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
अनुभाग अधिकारी

प्रपत्र नं.14 [विनियम 33(2) देखें]
पंजीकृत ए/डी द्वारा, दस्ती जिसके न होने पर प्रकाशन द्वारा

वसूली अधिकारी कार्यालय- I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी–2)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

माँग सूचना

ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1993 की धारा 25 से 28 और आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना।

आरसी/40/2025 — **दिनाँक : 19–03–2026**

यूको बैंक
विरुद्ध
मैसर्स आर. एस. इम्पेक्स

प्रति,
(सीडी 1.) मैसर्स आर. एस. इम्पेक्स, सी–21 शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग पश्चिम, दिल्ली–110026
(सीडी 2.) रमेश कुमार पांडे, निवासी मकान संख्या 295, भू तल, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली पश्चिम, दिल्ली–110026
(सीडी 3.) रमेश कुमार पांडे, निवासी मकान संख्या 295, भू तल, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली–110034

1. यह अधिसूचित किया जाता है कि **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)** द्वारा टीए/1281/2023 के अंतर्गत पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, **रु. 63,31,355.75 (रुपये तिरेसठ लाख इकतीस हजार तीन सौ पचपन तथा पिचहत्तर पैसे मात्र)** की एक राशि, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान और भविष्य के ब्याज सहित, **15.20% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज के साथ, 13/06/2019 से वसूली होने तक, और रु. 37,000/– (रुपये सैंतिस हजार मात्र)** के खर्चे, आपके (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से) विरुद्ध देय हो गये हैं।
2. आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 एवं उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अगली सुनवाई की तिथि को या उससे पहले शपथपत्र पर अपनी परिसंपत्तियों का विवरण घोषित करें।
4. आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप आगे की कार्यवाहियों के लिए **21/05/2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।
5. **उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित का भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे :**
(क) इस प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाहियों की सूचना के तुरंत बाद आरंभ होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज।
(ख) इस नोटिस और वारंट तथा अन्य प्रक्रियाओं की तामील तथा देय राशि की वसूली के लिए की गई सभी अन्य कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी खर्च, प्रभार और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत दिनांक **19/03/2026** को निर्गत।

वसूली अधिकारी,
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

न्यायालय की मुहर

प्रति : यूको बैंक, पंजाबी बाग शाखा, नई दिल्ली

आपको निर्देश दिया जाता है कि यदि प्रमाणपत्र देनदार(रों) द्वारा कोई भुगतान किया गया है, तो उसे इस मामले में प्रमाणपत्र देनदार(रों) की ओर से देय सभी ऋणों के समेकित खाते में जमा किया जाए और वसूली अधिकारी को भुगतान की स्थिति की नियमित रूप से जानकारी दी जाए।

इस प्रकार बनाए गए समेकित खाते का वसूली अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। आपको आगे निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त मामले के संबंध में कुल दावे का अद्यतन विवरण और उस संपत्ति का पूरा विवरण प्रस्तुत करें, जिससे ऋण की वसूली की जानी है।

नोटः जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र सं. 3
[विनियम-13(1)(ए) देखें]
ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17ए, चण्डीगढ़ (3सरे एवं 4थे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

मुकदमा सं. ओए/1351/2025

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के तहत समन ईएक्सएच नं. 29934

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बनाम
नेहा रैना रैना

सेवा में,
(1) नेहा रैना रैना पुत्री/पत्नी/पुत्र –राम कृष्ण रैना नेहा रैना, पुत्री राम कृष्ण रैना, निवासी जी–19/7, ग्राउंड फ्लोर, पार्क के पास, कछार मार्ग, डीएलएफ फेज-1, सिकंदरपुर घोषी (68), गुड़गांव- 122002, हरियाणा। पैन नंबर AQSPR0372G गुड़गांव, हरियाणा-122002

समन

जैसा कि ओए/1351/2025 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 13.03.2026 को सूचीबद्ध किया गया था।

जैसा कि यह माननीय अधिकरण रु. 55,54,163/– के ऋण (दस्तावेजों की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है) की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दाखिल इस अधिनियम की धारा 19(4) (ओए) के तहत कथित आवेदन पर समन/सूचना सहर्ष जारी करते हैं।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नवत निर्देश दिया जाता है :

(i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गयी उसे स्वीकार क्यों न किया जाये।
(ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के विवरणों को प्रकटित करना;
(iii) आपको प्रतिभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार करने, सुनवाई लम्बित करने तथा सम्पत्तियों के अटैचमेंट हेतु आवेदन को निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है;
(iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य प्रकार्यों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत निर्दिष्ट अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं करेंगे;
(v) आप प्रतिभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा वसूलीकृत बिक्री कार्यवाहियों हेतु उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रीत कार्यवाहियों को बैंक अथवा ऐसी आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित करेंगे।

आपको 24.04.2026 को 10.30 बजे प्रातः रजिस्ट्रार के पास एक लिखित वक्तव्य जिसकी एक प्रति आवेदक को देनी है, दाखिल करने तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल होने पर आवेदन पर सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला दिया जायेगा।

17.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मुहर सहित

समन जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

फॉर्म नं – एनसीएलटी ३ए
(राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियम, २०१६ का नियम ३५)
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष
कंपनी याचिका संख्या सी.पी.(सीएए)/९/सीएच/२०२६
कंपनी आवेदन संख्या सी.ए. (सीएए) संख्या ५२/सीएचडी/एचआरवाय/२०२५ के संबंध में कंपनी (समझौता, व्यवस्था और एकीकरण) नियम, २०१६ के साथ पढा कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ६६ के साथ धारा २३० से २३२ और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में,
और
मिंडा फाइनेंस लिमिटेड, सिंघल फिनकैप लिमिटेड, पायनियर फाइनेस्ट लिमिटेड, बार इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लिटलस्टार एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, मां रुक्मणी देवी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा इंटरनेशनल लिमिटेड, मिंडा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मिंडा ऑटोमोटिव लिमिटेड, शिल्पालय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा नेक्सजेंटेक लिमिटेड, मिंडा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और मिंडा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में।

मिंडा फाइनेंस लिमिटेड
(सी.आय.एन : यू६७१२०एचआर१९८५पीएलसी०९६७१६) रजिस्टर्ड ऑफिस : गांव नाहरपुर कसान, नखरोला, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा १२२००४
...याचिकाकर्ता कंपनी १ / समामेली कंपनी १

सिंघल फिनकैप लिमिटेड
(सी.आय.एन. : यू६५९९३एचआर२००३पीएलसी०८९८९३) रजिस्टर्ड ऑफिसः गांव नाहरपुर कसान, नखरोला, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा १२२००४
...याचिकाकर्ता कंपनी २ / समामेली कंपनी २

पायनियर फाइनेस्ट लिमिटेड
(सी.आय.एन.: यू७४८९९एचआर१९९४पीएलसी०८९८९४
...याचिकाकर्ता कंपनी ३ / समामेली कंपनी ३

बार इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(सी.आय.एन: यू७४८९९एचआर१९९०पीटीसी०९६०२८)
...याचिकाकर्ता कंपनी ४ / समामेली कंपनी ४

लिटिलस्टार एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
(सी.आय.एन. : यू४५४००एचआर२०१०पीटीसी०९०५०३)
...याचिकाकर्ता कंपनी ५ / समामेली कंपनी ५

माँ रुक्मणी देवी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
(सी.आय.एन : यू२९१९९एचआर१९९९पीटीसी०९२९४६)
...याचिकाकर्ता कंपनी ६ / समामेली कंपनी ६

मिंडा इंटरनेशनल लिमिटेड
(सी.आय.एन : यू९३०९०एचआर२००७पीटीसी०८५६७२)
...याचिकाकर्ता कंपनी ७ / समामेली कंपनी ७

मिंडा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(सी.आय.एन : यू४५४००एच२००८पीटीसी०८९०६५)
...याचिकाकर्ता कंपनी ८ / समामेली कंपनी ८

मिंडा ऑटोमोटिव लिमिटेड
(सी.आय.एन. : यू३४३००एचआर२००३पीटीसी०८५६७३)
...याचिकाकर्ता कंपनी ९ / समामेली कंपनी ९

शिल्पालय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(सी.आय.एन.: यू४५२००एचआर२००७पीटीसी०९११३०)
...याचिकाकर्ता कंपनी १० / समामेली कंपनी १०

मिंडा नेक्सजेंटेक लिमिटेड
(सी.आय.एन.: यू३१५०४एचआर२०११पीटीसी०९३७५७)
...याचिकाकर्ता कंपनी ११ / समामेली कंपनी ११

मिंडा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(सी.आय.एन.: यू७४३००एचआर१९९६पीटीसी०९२९४५)
...याचिकाकर्ता कंपनी १२ / समामेली कंपनी १२

मिंडा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
(सी.आय.एन.: यू७४८९९एचआर१९९४पीटीसी०९०५८२)
रजिस्टर्ड ऑफिसः गांव नाहरपुर कसान, नखरोला, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा १२२००४
...याचिकाकर्ता कंपनी १३ / समामेलित कंपनी

याचिका सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ के सेक्शन ६६ के साथ सेक्शन २३०-२३२ के तहत एक पिटीशन (पिटीशन) जिसमें मिंडा फाइनेंस लिमिटेड, सिंघल फिनकैप लिमिटेड, पायनियर फाइनेस्ट लिमिटेड, बार इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लिटलस्टार एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, मां रुक्मणी देवी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा इंटरनेशनल लिमिटेड, मिंडा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मिंडा ऑटोमोटिव लिमिटेड, शिल्पालय कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा नेक्सजेंटेक लिमिटेड, मिंडा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और मिंडा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (जिन्हें एक साथ पिटीशनर कंपनियां कहा गया है) और उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच प्रस्तावित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी देने की मांग की गई थी। पिटीशनर कंपनियों ने माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण **(ट्रिब्यूनल /एनसीएलटी)** की चंडीगढ़ बेंच के सामने पिटीशनर कंपनियों को पेश किया था, और माननीय एनसीएलटी ने इसे स्वीकार कर लिया था। अब, माननीय एनसीएलटी के १९ मार्च, २०२६ को दिए गए एक ऑर्डर के मुताबिक, इस पिटीशन की सुनवाई १४ मई, २०२६ को माननीय एनसीएलटी के सामने तय की गई है।

जो भी व्यक्ति इस पिटीशन का सपोर्ट या विरोध करना चाहता है, उसे ऊपर दिए गए पते पर, और csfo@unominda.com पर ईमेल से, अपने इरादे का एक नोटिस, जिस पर उसके या उसके वकील के साइन हों, उसके नाम और पते के साथ, और माननीय एनसीएलटी, ग्राउंड फ्लोर, कॉर्पोरेट भवन, सेक्टर २७-इ, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ - १६००१९ को, याचिका की सुनवाई के लिए तय तारीख यानी ४ मई, २०२६ से कम से कम १० दिन पहले भेजना चाहिए। जहां कोई भी व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोध का कारण या उसकी एक कॉपी। उसका एफिडेविट, ऐसे नोटिस के साथ दिया जाएगा। याचिका की एक कॉपी पिटीशनर कंपनियां किसी भी ऐसे व्यक्ति को देंगी जिसे इसकी ज़रूरत हो, इसके लिए तय चार्ज का पेमेंट करना होगा।

तारीखः ०२ अप्रैल २०२६
स्थान : गुड़गांव

हस्ता/– सत्य देव, अधिकृत प्रतिनिधी, याचिका कंपनी ७, ८, ९, १०, ११ और १२
हस्ता/– सुमित गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधी, याचिका कंपनी १, २, ३, ४, ५, ६ और १३.

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
ई–नीलामी सूचना

पत्रांक / Ref. No. 1128/ ई०एस०डी०यू०/ESDU/ — दिनांक / Dated :31/03/2026

विद्युत 400 के०वी० उपकेन्द्र, दही चाकी, उन्नाव पर उपलब्ध स्क्रैप सामग्री को विक्रय किये जाने हेतु M/s M.S.T.C. द्वारा ई–ऑक्शन के माध्यम से ई–निलामी के लिए बोली लगाये जाने हेतु आमंत्रित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

1.	MSTC/LKO/ UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED/2/UNNAO/26-27/897	ई–ऑक्शन दिनांक 06.04.2026
2.	MSTC/LKO/UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED/1/UNNAO/26-27/802	ई–ऑक्शन दिनांक 09.04.2026
3.	MSTC/LKO/UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED/3/UNNAO/26-27/1737	ई–ऑक्शन दिनांक 15.04.2026

उपरोक्त नीलामी से सम्बन्धित नीलामी सूची तथा अन्य नियम व शर्ते M/s M.S.T.C. की वेबसाइटः– **www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध हैं। नीलामी से सम्बन्धित जानकारी और संशोधन (यदि कोई हो, तो) केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे। सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, दही चौकी, उन्नाव **ई–मेल:-ee400unnao@upptcl.org/** मोबाइल नम्बर–9450909439 पर सम्पर्क करें।

"राष्ट्र हित में उर्जा बचायें"

हस्ता./–
अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उन्नाव

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्ररूप संख्या आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केंद्रीय सरकार के क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,
और
मेसर्स कंचनजंगा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U72200DL2006PTC301866), जिसका पंजीकृत कार्यालय **ई-40, टी/एफ, गली नंबर 6, मानसरोवर पार्क, दिल्ली - 110032** में स्थित है, के मामले में।
....आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **19 मार्च, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते **बी-2 विंग, द्वितीय तल, प. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 (चौदह) दिनों** के भीतर भेज सकता है और साथ ही, इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नीचे दिए गए पते पर भी भेजे: **पताः ई-40, टी/एफ, गली नंबर 6, मानसरोवर पार्क, दिल्ली - 110032**

आवेदक के लिए और उनकी ओर से
मेसर्स कंचनजंगा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
देवेंद्र कुमार गौतम
निदेशक
डीआईएनः 02717981

दिनांक : 02.04.2026
स्थान : नई दिल्ली

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
SMECC नोएडा, एसएमई सेंटर, चतुर्थ तल, ए-2/2, ब्लॉक-ए, सैक्टर-52, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. 201301, मो. 8178271230, 9289074371, ईमेल आईडीः sbi.15910@sbi.co.in

सम्पत्तियों की ई-नीलामी दिनांक **10.04.2026**
ई. एम. डी. दिनांक **06.04.2026 to 10.04.2026**

ई-नीलामी बिक्री सूचना
निरीक्षण दिनांक 06.04.2026 to 09.04.2026

परिशिष्ट IV–क, (नियम 8 (6) का परन्तुक देखें) चल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत- दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूपये की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 10.04.2026, समय सुबह 10:00 से 16:00 बजे तक बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र सं.	कर्जदार का विवरण	सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य ईएमडी मूल्य बोली वृद्धि मूल्य
1.	श्री पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री उमेश प्रसाद सिंह। 6बी, ब्लॉक 10, समाजवादी अपार्टमेंट्स, सेक्टर–117, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर 201301.	Vehicle No.: UP16 LT 3082 Maruti Wagon R CNG (Taxi)	रू. 4,29,637 (चार लाख उनतीस हजार छः सौ सैंतिस मात्र) तथा ब्याज एवं अन्य खर्चे प्रभावी।	Rs. 2,70,000 Rs. 27,000 Rs. 5,000
2.	श्री अनिल कुमार पुत्र राजवीर सिंह। गांव नगला चरनदास, नोएडा फेज–2, जिला गौतम बुद्ध नगर 201301.	Vehicle No.: UP16 JT 8836 Mahindra Electric Treo SFT Three Wheeler	रू. 1,13,977 (एक लाख तेरह हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र) तथा ब्याज एवं अन्य खर्चे प्रभावी।	Rs. 25,200 Rs. 2,520 Rs. 1,000
3.	श्री अफसर अली पुत्र श्री नसरुद्दीन, मधुसूदन फ्लैट्स के पास, नहर बाईपास चौहान कॉलोनी, दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203207.	Vehicle No.: UP16 JT 3402 Mahindra Electric Treo SFT Three Wheeler	रू. 1,54,645 (एक लाख चउव्वन हजार छः सौ पैंतालिस मात्र) तथा ब्याज एवं अन्य खर्चे प्रभावी।	Rs. 28,800 Rs. 2,880 Rs. 1,000
4.	श्री शिव कुमार पुत्र श्री विजय सिंह ग्राम साकीपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201306.	Vehicle No.: UP16 JT 8671 Mahindra Electric Treo SFT Three Wheeler	रू. 2,33,871 (दो लाख तेतीस हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र) तथा ब्याज एवं अन्य खर्चे प्रभावी।	Rs. 32,400 Rs. 3,240 Rs. 1,000

ई–नीलामी हेतु नियम व शर्तें:– (1). ई–नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी वेबपोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी विक्री के अन्तर्गत ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्ते आदि निविदा दस्तावेज ई–नीलामी प्लेटफार्म https://baanknet.com पर उपलब्ध है। (2). अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति (यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता (ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति (यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति (याँ) को प्रभावित करने वाले दावों /अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा। सम्पत्ति (यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो / ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (3). इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व बैंक के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें। (4). यह ई–नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तो के अनुसार की जायेगी। (5). ई–नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों https://baanknet.com पर प्रकाशित की गई है।

ध्यान दें: उधारकर्ता/गारंटर/ बंधककर्ता को 7 दिन की बिक्री नोटिस पूर्व ही पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी गई है, यदि ऐसी पार्टी/पार्टियों को यह नहीं मिला है, तो इस नोटिस को इन सभी पक्षों के लिए सेवा का वैकल्पिक तरीका माना जा सकता है। सम्पर्क: श्वेता द्विवेदी, प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबंधक, (Maintenance), संपर्क: 0120-2497117.

दिनांकः 02.04.2026 — स्थानः नोएडा। — हस्ता0/– अधिकृत प्राधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

कार्यालय वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण–II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं.64/2018 — **नीलामी बिक्री की तिथिः 07/05/2026**

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

यूको बनाम राजेन्द्र प्रसाद

(सीडी#1) श्री राजेन्द्र प्रसाद, जी–54, सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001
(सीडी#2) मैसर्स अंजन एंटरप्राइजेज, एम.एस.–3, सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001
(सीडी#3) श्रीमती अंजना प्रसाद, जी–54, सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001

1. जबकि पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण–II द्वारा आहरित वसूली प्रमाणपत्र संख्या 64/2018 दिनांक 20.02.2018** के अनुसार, जिसमें **रु. 41,12,729/– (रुपये इकतालीस लाख बारह हजार सात सौ उनतीस मात्र)** की राशि का उल्लेख है, सीडी से संयुक्त रूप से और/या अलग–अलग ओए दाखिल करने की तिथि से 10.20% प्रति वर्ष साधारण दर से भावी और भावी तथा पेंडेंटेलाइट ब्याज के साथ राशि सहित **रु. 40,69,729/– (रुपये चालीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ उनतीस मात्र)** की लागत वसूलने का हकदार है।
2. तथा, जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में ई–नीलामी तथा बोली द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली **"ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), ए–801, वॉल स्ट्रीट–II, सामने ओरिएंट क्लब, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद**–380006 **संपर्क नंबर** +079–61200520 **और** 6351896834 **ई-मेल – gujarat@auctiontiger.com, संपर्क व्यक्तिः श्री कुशल कोठारी, संपर्क नंबर :** 08980690773, **ईमेल: kushal@auctiontiger.net और श्री राम शर्मा, संपर्क नंबर** 6351896834 / 079–61200595, **सपोर्ट लैंड लाइन नंबर** 07961200594 / 538 / 596, **ई-मेल आईडीः support@auctiontiger.net और delhi@auctiontiger.net के माध्यम से** 07.05.2026 **को** 11:00 **बजे पूर्वा. से** 12:00 **बजे अप. के बीच, यदि जरूरी हुआ तो,** 12:00 **बजे अप. के बाद** 5 **मिनट के विस्तार के साथ की जायेगी।**
4. यह बिक्री नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त सीडी की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरंत रोक दिया जाएगा। यदि नीलामी रद्द होने से पहले उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी को इस तरह के प्रमाण पत्र, ब्याज और लागत की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो बिक्री बंद कर दी जाएगी।
6. ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जितकरने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
7. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामीके लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

7.2. **आरक्षित मूल्य निम्नानुसार है, जिससे कम में संपत्ति नहीं बेची जाएगी:**

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	मकान नं. केए–159, प्रथम तल, सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.	रु. 49,20,000/– (रुपये उनचास लाख बीस हजार मात्र)	रु. 4,92,000/– (रुपये चार लाख बानबे हजार मात्र)

7.3 जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित संकल्प की प्रति या कम्पनी के प्रतिनिधित्व/एटॉर्नी की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज आदि सहित आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी बोलियां अधिकतम 05.05.2026 **को** 4.00 **बजे अप. तक कार्यालय वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली में जमा कर दी है वे** 07.05.2026 **को** 11.00 **बजे पूर्वा. से** 12.00 **बजे अप.** तक आयोजित होने वाली ई–नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। किसी व्यक्ति के मामले में, यदि बोली उसकी अपनी ओर से या उसके प्रिंसिपलों की ओर से है तो एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी। बाद के मामले में, बोलीदाता को अपना प्राधिकार जमा करना होगा और डिफॉल्ट के मामले में, उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन **समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।** यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।

7.4 बोलीदाता प्रत्येक सम्पत्ति के संबंध में अपने प्रस्ताव **रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ायेंगे।**

7.5 असफल बोलीदाता ईएमडी राशि ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद **कार्यालय वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली/सीएच यानी यूको बैंक से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।**

7.6 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी की समाप्ति के उपरांत ईएमडी समायोजित करने के बाद अगले कार्यदिवस पर 04.00 बजे अप. तक वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली, खाता आर.सी. नं. 64/2018 के पक्ष में संविदा/विक्रय राशि के 25% का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर इस अधिकरण के पास जमा करना होगा।

7.7 सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवकाश दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के समक्ष रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली, खाता आर.सी. सं. 64/2018 के पक्ष में रु. 1000/– तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रजिस्ट्रार, डीआरटी–II, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। (यदि शेष 75% राशि डाक द्वारा जमा की जाती है तो वह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)

7.8. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद, अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं, तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

8. संपत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है यही है"** आधार पर की जा रही है।
9. अधोहस्ताक्षरी को यदि अस्वीकार्य होता है तो किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा निरस्त करने या उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।

सम्पत्ति की अनुसूची

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	उस ऋणभार का विवरण जो सम्पत्ति पर बकाया है	दावे, यदि कोई हों, जिसे सम्पत्ति पर किया गया है, तथा इसकी प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञात विवरण
मकान नं. केए–159, प्रथम तल, सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.	अज्ञात		

न्यायालय की मोहर — 23/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कोर्ट की मुहर से जारी किया गया

एसडी/- वात्सल्य कुमार, वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली